न्यायालय सिविल जज, विकासनगर, जिला–देहरादून।

आदेश

बार–बार पुकार करायी गयी। वादी व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई पैरवी हेतु उपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है, जिस कारण वाद को अनावश्यक लम्बित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार सिविल अभिलेखागार संचित हो।

(अनिल कुमार कोरी)
सिविल जज ,
विकासनगर, देहरादून।